# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

**पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस**

प्रकरण संख्या 72/2023 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2023/103

पदमा पिता रता भील निवासीः धोल की पाटी, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

—— अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार गिर्वा नामांतरकरण संख्या 973 दिनांक 16.07.2018**

**उपस्थित :** श्री नरपत सिंह चूण्डावत, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

**निर्णय**

दिनांकः– 8/9/25

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार गिर्वा के नामांतरकरण संख्या 973 दिनांक 16.07.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट व उसके भाईयों के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 822मी. रकबा 0.1500 हैक्टेयर भूमि खाते मे अंकित थी जिसका आपसी सहमति बटबाड़ा हुआ। जिसमें आराजी संख्या 822 मी. रकबा 0.0750 हैक्टेयर भूमि पदमा पिता रता भील के हिस्से आई जो संवत् 2062 से 2065 की जमाबंदी में अंकित है। उक्त आराजी नंबर के साबिक आराजी नंबर 336/1मी. रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा है। संवत् 2042 की जमाबन्दी में आराजी संख्या 822 से सड़क वाला रकबा 0.1500 हैक्टेयर किस्म 0.1000 हैक्टेयर छा. क. एवं रकबा 0.0500 हैक्टेयर बाडा दर्ज है जो बाद में भाई बंटवाडे में पदमा पिता रता भील के हिस्से में आया। इस प्रकार भूमि की किस्म 0.1000

जिला कलक्टर
उदयपुर

हैक्टेयर छापरी व कंकरीली एवं 0.0500 हैक्टेयर किस्म बाडा है। कालांतर में सहवन से 0.0500 हैक्टेयर भूमि को बाडा से जमाबन्दी में नाडा अंकित कर दिया जो गलत है। उपरोक्त भूमि नदी, नाला, तालाब, नाडी आदि की श्रेणी में नहीं है। खसरा गिरदावरी संवत् 2062 से 2065 में भी उपरोक्त भूमि में गेहूं, मक्की एवं ज्वार व सब्जी बोना दर्ज रिकार्ड है, इस प्रकार उक्त भूमि पर लगातार कृषि होती आ रही है। उपरोक्त भूमि न तो पड़त है और न ही नदी नाले की है। जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 में एक दाखिला लगा हुआ है जिसमें जरिये नामांतरकरण संख्या 973 दिनांक 16.07.2018 के आदेश से बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज करने की स्वीकृति हुई, जबकि अपीलाण्ट के विरूद्ध कभी भी कोई भी मुकदमा उपरोक्त भूमि बाबत् किसी भी न्यायालय में नहीं चला है। अपीलाण्ट के परोक्ष में उपरोक्त भूमि को बिलानाम सरकार गलत दर्ज कर दी गई है। अपीलाण्ट को कभी भी किसी भी न्यायालय का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए नामांतरकरण संख्या 973 अपीलाण्ट को बिना सुने पारित किया गया है जिसे न्यायहित में निरस्त किया जाना उचित है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त भी यही है कि किसी भी व्यक्ति को सुने बिना उसके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, न ही नामांतरकरण फैसल किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलाण्ट के परोक्ष में जारी किया गया कोई भी आदेश नल एण्ड वोइड होकर अपीलाण्ट पर लागू नहीं होता है। उक्त आराजीयात पर आज दिनांक को भी अपीलाण्ट का कब्जा है एवं अपीलाण्ट की मक्की व ज्वार की फसल खडी है। इस प्रकार उक्त नामांतरकरण के जरिये अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करना गैर कानूनी है। पूर्व में साबिक आराजी नंबर 336/1 की किस्म भी नदी, नाला, तालाब, नाडी आदि दर्ज नहीं रही, ऐसी स्थिति में उसी साबिक नंबर से बने वर्तमान आराजी नंबर 822 में से 0.0500 हैक्टेयर भूमि की किस्म बाडा की जगह नाडा दर्ज करना विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम धोल की पाटी, पटवार क्षेत्र डाकन कोटड़ा के नामांतरकरण संख्या 973 दिनांक 16.07.2018 को निरस्त फरमाया जाये एवं अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी संख्या 822 रकबा 0.0750 हैक्टेयर जो बटवाडे में अपीलाण्ट के हिस्से में आई व खाते में दर्ज हुई उसे पुनः अपीलाण्ट के खाते मे दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट के खातेदारी भूमि आराजी संख्या 822 मी. रकबा 0.0750 हैक्टेयर राजस्व ग्राम धोल की पाटी, पटवार क्षेत्र डाकन कोटडा में स्थित है। उक्त भूमि को तहसीलदार गिर्वा द्वारा जरिये नामांतकरण संख्या 973 दिनांक 16.07.2018 से किस्म बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि होकर अपीलाण्ट द्वारा वर्तमान में उक्त भूमि पर फसल बोई जा रही है। उक्त भूमि के साबिक आराजी संख्या 336/1 होकर नाड़ा अंकित नहीं थी तो वर्तमान आराजी संख्या 822 मी. में किस तरह से नाड़ा अंकित हो सकती है। अपीलाण्ट को कभी भी किसी भी न्यायालय का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए नामांतरकरण संख्या 973 अपीलाण्ट को बिना सुने पारित किया गया है जिसे न्यायहित में निरस्त किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार गिर्वा द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 973 दिनांक 16.07.2018 को निरस्त फरमाया जाये एवं अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी संख्या 822 रकबा 0.0750 हैक्टेयर को पुनः अपीलाण्ट के खाते मे दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि जमाबन्दी सम्वत 2058–61 अनुसार खसरा संख्या 822 रकबा 0.1500 हे. (छा.क. 0.1000 एवं बाडा 0.0500 हे.) भूमि दीता पिता रामा वगैरह के नाम दर्ज है। संभवतया किस्म बाडा के स्थान पर नाडा दर्ज हो जाने से उक्त भूमि का रेफरेन्स दर्ज होकर भूमि बिलानाम दर्ज की गई है। यदि सहवन से बाडा के स्थान पर नाडा दर्ज हुआ है तो प्रकरण रिमाण्ड किया जा सकता है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी एवं उनके भाईयों के स्वामित्व एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम धोल की पाटी की आराजी संख्या 822 रकबा 0.1500 हे. (छा.क. 0.1000 एवं बाडा 0.0500 हे.) भूमि दीता पिता रामा वगैरह के नाम दर्ज रिकार्ड थी कालान्तर में सहवन से किस्म बाडा के स्थान पर नाडा दर्ज हो गया जबकि उपरोक्त भूमि नदी, नाला, तालाब, नाली, नाडी आदि श्रेणी की नही है। अपीलाण्ट के परोक्ष उपरोक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई है, जो गलत है। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 973 दिनांक 16.07.2018 का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार गिर्वा के आदेश क्रमांक राजस्व न्याया/2018/138 दिनांक 22.06.2018 की पालना में दर्ज कर पेश किया गया जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

टिप्पणी की गई कि **"निर्णय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर क्रमांक राम/न्याया/ रेफ/एफआर/2009/1935 उदयपुर निर्णय दिनांक 18.12.2017 एवं तहसीलदार कार्यालय गिर्वा पत्र क्रमांक राजस्व न्याया/2018/138 दिनांक 22.06.2018 अनुसार अंकन सही है"** एवं इसी टिप्पणी के आधार पर तहसीलदार गिर्वा द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। चूंकि उक्त नामान्तरकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय अनुसार पारित किया गया है एवं अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि यह निर्णय वर्तमान में प्रभावी नही है ऐसी स्थिति में तहसीलदार गिर्वा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 973 दिनांक 16.07.2018 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि परिलक्षित नही होती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील कर राहत प्राप्त कर सकता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
**जिला कलक्टर,**
**उदयपुर**